RIGHT TO INFORMATION

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR-HCIND/ 59 **Indore, Dated 13.01.2020**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्री दीपक पवार (एडव्होकेट)
1/1, एम.जी. रोड़,
इन्दौर (म.प्र.)
मोबाईल नंबर–9893016002

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 01 दिनांक 04/01/2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 01/2020–2021 दिनांक 06/01/2020 में पंजीकृत है देखें। यह कि, आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/– रू शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान–रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर ए में आवेदन नहीं प्रस्तुत है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है और 50 रू. भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय आपने भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प नं. 68 AA 829546 रू 10/– का प्रस्तुत किया हैं जो कि मूल ही आपको वापिस किया जा रहा हैं।
2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2006 के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाएगा जबकि आपके द्वारा कई सूचनाएं मांगी गई हैं।
3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) (बी) के अनुसार आवेदन में स्पष्ट और विशिष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं और विवरण आपके द्वारा निर्दिष्ट नहीं हैं।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सिर्फ वही जानकारी प्रदाय की जा सकती है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) के अंतर्गत परिभाषित सूचना एवं धारा 2 (झ) अंतर्गत परिभाषित अभिलेख की श्रेणी में आती हो तथा उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं 9 से प्रतिबंधित न हो। किसी प्रक्रिया विशेष की जानकारी खोजबीनकर उपलब्ध कराया जाना तथा पृच्छा/प्रश्नों का उत्तर दिया जाना सूचना की परिधि में नहीं आता है और न ही लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यो में निहित हैं।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ) को अपील कर सकते हैं।

संलग्न :– भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प नं.
68 AA 829546 रू 10/–

(राजेश कुमार शर्मा) 13.01.2020
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर